



Date : 12 दिसंबर 2022

अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची को संशोधित करने वाले विधेयक

हाल ही में, 4 राज्यों – तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची को संशोधित करने की मांग करने वाले चार विधेयकों को संविधान (एसटी) आदेश, 1950 में प्रस्तावित संशोधनों के माध्यम से लोकसभा में पेश किया गया था।

प्रस्तावित परिवर्तन

विधेयक चाहता है:

- तमिलनाडु की एसटी सूची में नरिकोरवन और कुरुविकरण पहाड़ी जनजातियों को जोड़ें।
- लोकुर समिति (1965) ने भी अपनी रिपोर्ट में उन्हें सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी।
- कर्नाटक की एसटी सूची में पहले से ही वर्गीकृत कडु कुरुबा के पर्याय के रूप में बेट्टा-कुरुबा का परिचय दें।
- छत्तीसगढ़ की एसटी सूची में पहले से वर्गीकृत भारिया भूमिया जनजाति के लिए देवनागरी लिपि में कई समानार्थक शब्द जोड़ें।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अनुसार, वे सभी एक ही जनजाति का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें सूची से बाहर रखा गया है क्योंकि उनका उच्चारण और उनके नाम अलग-अलग हैं।
- सिरमौर जिले में ट्रांस-गिरि क्षेत्र के हट्टी समुदाय को हिमाचल प्रदेश की एसटी सूची में जोड़ें (लगभग पांच दशकों के बाद)।

एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया राज्य से सिफारिश:

- एसटी सूची में जनजातियों को शामिल करने की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकारों की सिफारिशों के साथ शुरू होती है, जिसे फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाता है, जो समीक्षा करता है और भारत के महापंजीयक को अनुमोदन के लिए भेजता है।
- एनसीएसटी से अनुमोदन: इसके बाद अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट को सूची भेजने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की मंजूरी मिलती है।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होता है (अनुच्छेद 342 के तहत)।

- अनुसूचित जनजाति में किसी भी समुदाय को शामिल करना संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही प्रभावी होता है।

भारत में एसटी से संबंधित प्रावधान

- भारत का संविधान अनुसूचित जनजाति की मान्यता के लिए मानदंड परिभाषित नहीं करता है। जनगणना-1931 के अनुसार, एसटी को "बहिष्कृत" और "आंशिक रूप से बहिष्कृत" क्षेत्रों में रहने वाली "पिछड़ी जनजाति" कहा जाता है।
- 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधियों के लिए पहली बार आह्वान किया।
- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - **अनुच्छेद 366(25):** यह केवल एसटी को परिभाषित करने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है: "एसटी का मतलब ऐसी जनजाति या आदिवासी समुदाय या ऐसी जनजातियों या आदिवासी समुदायों के हिस्से या समूह हैं जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।"
 - **अनुच्छेद 342(1):** राष्ट्रपति किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में (राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद) उस राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में जनजातियों/जनजातीय समुदायों/जनजातियों/जनजाति समुदायों के हिस्से या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। /यूटी।
 - **पांचवीं अनुसूची:** यह छठी अनुसूची वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है।
 - **छठी अनुसूची:** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।

वैधानिक प्रावधान:

- अस्पृश्यता के खिलाफ नागरिक अधिकार अधिनियम, 1955 का संरक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।
- पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996।
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।